न्यायालय जिला कलक्टर, बासवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/ 2021
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/25

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री राकेश पिता हिरालाल कलाल निवासी तहसील व जिला बॉसवाडा	बनाम	तहसीलदार तहसील बॉसवाडा

उपस्थित

श्री रवि पुरी, एडवोकेट	तहसीलदार तहसील बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 13.08.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट तहसीलदार बॉसवाडा को पटवारी लिमथान द्वारा दिनांक 28.05.2021 को जरिये रिपोर्ट अवगत कराया कि ग्राम लिमथान के आराजी सर्वे नं. 261 रकबा 1.10 बिघा किस्म ना.का. श्रीसरकार बिलानाम भूमि 22X11=242 वर्गफिट पर अपीलार्थी श्री राकेश कलाल द्वारा अवैध निर्माण की सूचना पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी श्री राकेश कलाल को दिनांक 02.06.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने जरिये नोटिस तलब किया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकरण सं. 02/2021 में अतिक्रमित निर्माण ध्वस्त करने दिनांक 02.06.2021 को निर्णय पारित किया जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में उल्लेख किया है कि तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रेषित नोटिस अपीलार्थी श्री राकेश कलाल को [illegible] क्योंकि दिनांक 28.05.2021 को पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की [illegible] न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

की अभिरक्षा में होकर न्यायिक अभिरक्षा में था। रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 02.06.2021 को अपीलार्थी को तलब किया गया था किन्तु न्यायिक अभिरक्षा में होने एवं दिनांक 02.06.2021 को शाम को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त होकर कारागृह से बाहर आने से पूर्व दिनांक 02.06.2021 को ही अपीलार्थी की पत्नि सुमित्रा द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पति की अनुपस्थिति के कारण मामले में अपीलार्थी के उपस्थित होने एवं अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने निवेदन किया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट को समन जारी किया गया । तहसीलदार, बॉसवाडा से मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलांट की ओर से दिनांक 16.07.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौके की वास्तविक स्थिति की जॉच करने निवेदन किया गया।

दिनांक 02.08.2021 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी श्री राकेश कलाल को दिनांक 02.06.2021 को न्यायालय तहसीलदार तहसील बॉसवाडा में उपस्थित होने जरिये नोटिस तलब किया था। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकरण सं. 02/2021 में अतिक्रमित निर्माण घ्वस्त करने दिनांक 02.06.2021 को निर्णय पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस अपीलार्थी राकेश कलाल को व्यक्तिगत रुप से तामिल नही हुआ क्योकि दिनांक 28.05.2021 से 02.06.2021 तक अपीलार्थी श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा की अभिरक्षा में होकर न्यायिक अभिरक्षा में था। प्रकरण में तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा दिनांक 02.06.2021 को अपीलार्थी को तलब किया गया था किन्तु न्यायिक अभिरक्षा में होने एवं दिनांक 02.06.2021 को शाम को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त होकर कारागृह से बाहर आने के कारण अनुपस्थित रहा। दिनांक 02.06.2021 को अपीलार्थी की पत्नि सुमित्रा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में लिखितं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पति की अनुपस्थिति के कारण मामले में अपीलार्थी के उपस्थित [illegible] हेतु अवसर प्रदान करने निवेदन किया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वा[illegible] के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर [illegible] प्रश्नगत आदेश Preverse,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

Erroneous, Illegal, Arbitarary है। अपीलार्थी को मामले में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट तहसीलदार बॉसवाडा ने बहस के दौरान कथन किया कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है। पटवारी लिमथान द्वारा दिनांक 28.05.2021 को जरिये रिपोर्ट अवगत कराया कि ग्राम लिमथान के आराजी सर्वे नं. 261 रकबा 1.10 बिघा किस्म ना.का. श्रीसरकार बिलानाम भूमि 22X11=242 वर्गफिट पर अपीलार्थी श्री राकेश कलाल द्वारा अवैध निर्माण करने की सूचना पर उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी श्री राकेश कलाल को दिनांक 02.06.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने जरिये नोटिस तलब किया था। नोटिस तामील कार्यवाही के दौरान श्री राकेश कलाल निवास पर नही होने पर नोटिस चस्पानगी की कार्यवाही की गई जिसके फोटाग्राफ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। दिनांक 02.06.2021 को श्री राकेश कलाल की पत्नि सुमित्रा ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा श्री राकेश कलाल की अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकरण सं. 02/2021 में अतिक्रमित निर्माण ध्वस्त करने दिनांक 02.06.2021 को निर्णय पारित किया जो नियमानुसार सही है।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पटवारी लिमथान की रिपोर्ट दिनांक 28.05.2021 के आधार पर ग्राम लिमथान के आराजी सर्वे नं. 261 रकबा 1.10 बिघा किस्म ना.का. श्रीसरकार बिलानाम भूमि 22X11=242 वर्गफिट पर अपीलार्थी श्री राकेश कलाल द्वारा अवैध निर्माण की सूचना पर उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी श्री राकेश कलाल को दिनांक 02.06.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने जरिये नोटिस तलब किया था। दिनांक 02.06.2021 को अपीलार्थी की पत्नि श्रीमती सुमित्रा द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी श्री राकेश कलाल के न्यायिक अभिरक्षा में होने से अनुपस्थिति के कारण मामले में पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.0[illegible] प्रकरण दर्ज नोटिस जारी कर तलब किया तथा आगामी दिनांक को ही अपीलार्थी श्री राकेश [illegible] के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को अपना पक्ष [illegible] प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

दिया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरुप किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए न्यायहित में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है। तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे।

अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2021 को अपास्त कर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाता है। अप्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.09.2021 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner